ए.

शिनहान बैंक बनाम

कैरोल सूचना सेवाएँ सीमित (2019 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 1) 13 मार्च, 2023

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,** पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:एसएस।7, 8 – मध्यस्थता समझौता-अवकाश और अनुज्ञप्ति समझौता और साथ ही याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच समझौता-पक्षों के बीच विवाद-विवादों के निपटारे के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रस्ताव करके याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता खंड का आह्वान-हालांकि, प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व से इनकार-प्रत्यर्थी का मामला कि सुविधा समझौते में एक मध्यस्थता समझौता था, न कि अनुमति और अनुज्ञप्ति समझौता; और यह कि याचिकाकर्ता को यू/एस के तहत एक आवेदन दायर करना चाहिए।8 मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ की मांग के लिए-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:सुविधा समझौते के खंड (1) का स्पष्ट परिणाम यह है कि समझौते की सभी शर्तें छुट्टी और लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा हैं-इस प्रकार, पक्षों ने सुविधा समझौते में मध्यस्थता खंड को छुट्टी और लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा बनाने का इरादा किया है -धारा 7 (5) में कहा गया है कि मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को अब यू/एस के तहत उपचार का पीछा करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए।8 – पक्षकारों के बीच अनुबंध की स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होगी-याचिकाकर्ता द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ, जिसने महाराष्ट्र राज्य के लोकयुक्त का पद ग्रहण किया है, पक्षकारों के बीच विवादों और मतभेदों को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए।एम आर इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एस. सी. सी. 696-संदर्भित।

एच.

706

707

शिनहान बैंक बनाम कैरोल सूचना सेवाएँ सीमित ए

ए.

मामला कानून संदर्भ

(2009) 7 एस**.** सी**.** सी**. 696**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2019 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 1।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (12) (ए) के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थता याचिका।

बी.

अभिषेक पुरी, सुश्री सुरभी गुप्ता, मनीष ढींगरा, श्रीमती रीता पुरी, पी. एन. पुरी, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

संजीव कुमार कपूर, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, एड.प्रत्यर्थी के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई

1. 5 अगस्त 2011 को, याचिकाकर्ता ने पांच साल की अवधि के लिए वॉकहार्ट टावर्स, सी-2, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 में वेस्ट विंग की चौथी मंजिल पर स्थित कार्यालय परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए प्रत्यर्थी के साथ एक अनुमति और लाइसेंस समझौता किया।उसी दिन, छुट्टी और लाइसेंस समझौते के साथ एक सुविधा

समझौते को समकालीन रूप से निष्पादित किया गया था।छुट्टी और लाइसेंस समझौते की अवधि समाप्त होने पर, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच दो साल की अवधि के लिए परिसर के निरंतर उपयोग और कब्जे के लिए 1 जुलाई 2016 को एक नया छुट्टी और लाइसेंस समझौता निष्पादित किया गया था।

डी.

ई.

2. 25 अगस्त 2016 को, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी के साथ एक सुविधा समझौता किया।

एफ.

3. 22 मार्च 2017 को, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को समाप्ति का एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि छुट्टी और लाइसेंस समझौता और सुविधाएं समझौता लॉक-इन अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा, अर्थात् 1 जुलाई 2017 को।

4. प्रत्यर्थी ने 30 मार्च 2017 को समाप्ति नोटिस का जवाब दिया।यह कहते हुए कि समाप्ति छुट्टी और लाइसेंस समझौते और सुविधाओं के समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं थी, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को प्रतिभूति जमा राशि वापस करने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त परिसर का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा 13 जून 2017 को प्रत्यर्थी को सौंप दिया गया था।

जी.

एच.

5. 3 जुलाई 2017 को, याचिकाकर्ता ने ब्याज के साथ प्रतिभूति जमा की वापसी की मांग का नोटिस दिया।13 जुलाई 2017 के एक पत्र में दावे का खंडन किया गया था।13 जुलाई 2017 के एक अन्य पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को 1 जुलाई 2017 और 30 जून 2018 के बीच की अवधि के लिए शेष लाइसेंस शुल्क और सुविधाओं के लिए 856 रुपये की राशि का दावा करते हुए एक नोटिस दिया और 2016 के समझौते के तहत प्रतिभूति जमा की राशि को समायोजित करने के बाद ब्याज के साथ 2 करोड़ रुपये के परिणामी नुकसान का दावा किया।

बी.

6. 29 सितंबर 2017 को एक अधिवक्ता के पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता ने 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अपनी प्रतिभूति जमा राशि (जो छुट्टी और लाइसेंस समझौते के तहत जमा की गई थी) और (जो सुविधा समझौते के तहत जमा की गई थी) को वापस करने की मांग की।प्रत्यर्थी ने 5 अक्टूबर 2017 के अपने जवाब में दावे को खारिज कर दिया।

सी.

7. 9 अक्टूबर 2017 को, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता का आह्वान किया और एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा।13 अक्टूबर 2017 के अपने जवाब में, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व से इनकार किया।

डी.

8. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत एक मध्यस्थता याचिका बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की गई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया गया क्योंकि मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है, याचिकाकर्ता दक्षिण कोरिया के कानूनों के तहत निगमित एक बैंकिंग कंपनी है।

ई.

9. हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अभिषेक पुरी और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री संजीव कुमार कपूर को सुना है।

एफ.

10. दोनों पक्षों के बीच दो समझौते हुए।पहला 1 जुलाई 2016 का अवकाश और लाइसेंस समझौता है।दूसरा 25 अगस्त 2016 का एक सुविधा समझौता है।विवाद की जड़ यह है कि क्या पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता है।प्रत्यर्थी का तर्क है कि जबकि सुविधा समझौते में एक मध्यस्थता समझौता है, छुट्टी और लाइसेंस समझौते में नहीं है।इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाले याचिकाकर्ता के दावे को खारिज किया जाना चाहिए।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी ने अपने मूल पक्ष पर बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया है और यह याचिकाकर्ता के लिए मध्यस्थता के संदर्भ की मांग करने के लिए धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर करने के लिए खुला होगा।

जी.

एच.

यह प्रस्तुत किया गया है कि बकाया लाइसेंस शुल्क के लिए मुकदमे में प्रत्यर्थी के दावे की गणना प्रतिभूति जमा को समायोजित करने के बाद की गई है और इसलिए याचिकाकर्ता के लिए उचित कार्रवाई धारा 8 के तहत अपने उपायों को आगे बढ़ाना होगा।

11. 25 अगस्त 2016 को दोनों पक्षों के बीच किए गए सुविधा समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:"यह समझौता उक्त छुट्टी और लाइसेंस समझौते के साथ समकालीन रूप से निष्पादित किया जाता है और उसी के अनुसार पढ़ा और समझा जाएगा।इस समझौते के प्रावधान को लाइसेंसधारकों द्वारा लाइसेंस प्राप्तकर्ता को दिए गए लाइसेंस के संबंध में उक्त अवकाश और लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग माना जाएगा और इसका गठन किया जाएगा।उक्त छुट्टी और लाइसेंस समझौते के सभी प्रावधान इस सुविधा समझौते पर लागू होंगे।

बी.

सी.

12. सुविधा समझौते में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने का प्रावधान है।खंड 17 निम्नलिखित शब्दों में है:

डी.

"17. इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी विवाद, विवाद या दावे:इसके किसी भी खंड के अस्तित्व या व्याख्या सहित, दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से विधिवत नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा लिखित रूप में मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा, जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत विफल रहता है।मध्यस्थता की लागत समान रूप से वहन की जाएगी।मध्यस्थता का स्थान मुंबई होगा और मध्यस्थता समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1966 द्वारा शासित होगी। मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।पुरस्कार अंतिम और निर्णायक होगा।मुंबई के न्यायालयों के पास इससे उत्पन्न होने वाले मामलों का परीक्षण करने और उन पर विचार करने का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।"

ई.

एफ.

13. प्रत्यर्थी की ओर से जो निवेदन किया गया है वह यह है कि धारा 7 (5) के संदर्भ में, किसी दस्तावेज़ के केवल संदर्भ का उस दस्तावेज़ से मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाने का प्रभाव नहीं होगा।प्रस्तुतिकरण निर्णय पर आधारित है

जी.

एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड 1.

14. सुविधा समझौते का खंड (1) जो ऊपर निकाला गया है, इंगित करता है कि (i) सुविधाओं के प्रावधान

1 (2009) 7 एस. सी. सी. 696

एच.

710

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को दिए गए लाइसेंस के संबंध में समझौते को छुट्टी और लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग माना जाएगा और इसका गठन किया जाएगा; और (ii) छुट्टी और लाइसेंस समझौते के सभी प्रावधान विभिन्न प्रकार से सुविधाओं के समझौते पर लागू होंगे।सुविधा समझौते के खंड 17 में विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का एक समझौता है।

बी.

15. सुविधा समझौते के खंड (1) का स्पष्ट परिणाम यह है कि उस समझौते की सभी शर्तें छुट्टी और लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग हैं।सुविधा समझौते में केवल छुट्टी और लाइसेंस समझौते का संदर्भ नहीं है।यह अवकाश और लाइसेंस समझौते के एक अभिन्न अंग के रूप में सुविधाओं के समझौते की सभी शर्तों को शामिल करता है।ऐसा करके, पक्षों ने सुविधा समझौते में मध्यस्थता खंड को छुट्टी और लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग बनाने का इरादा किया है।

सी.

16. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 (5) में निर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है जो उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाता है।सुविधा समझौते के खंड (1) का उद्देश्य मध्यस्थता खंड, जो सुविधा समझौते (खंड 17) में सन्निहित है, को छुट्टी और लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग बनाना है।

डी.

ई.

17. एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

“हम स्थिति की व्याख्या करने के लिए निगमन और केवल संदर्भ के कुछ उदाहरण देंगे (सचित्र और संपूर्ण नहीं)।यदि कोई अनुबंध किसी दस्तावेज़ को संदर्भित करता है और यह प्रावधान करता है कि उक्त दस्तावेज़ अनुबंध का एक हिस्सा होगा, या कि उक्त दस्तावेज़ के सभी नियमों और शर्तों को अनुबंध के एक हिस्से के रूप में पढ़ा या माना जाएगा, या कि अनुबंध उक्त दस्तावेज़ के प्रावधानों द्वारा शासित होगा, या कि उक्त दस्तावेज़ के नियम और शर्तें अनुबंध में शामिल की जाएंगी, तो दस्तावेज़ के नियम और शर्तें पूरी तरह से शारीरिक रूप से हटा दी जाएंगी और अनुबंध में शामिल की जाएंगी।जब किसी दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों को इस तरह से शामिल किया जाता है, तो ऐसे दस्तावेज़ की प्रत्येक अवधि (उस सीमा को छोड़कर जो अनुबंध में किसी विशिष्ट प्रावधान के साथ असंगत है) अनुबंध पर लागू होगी।यदि दस्तावेज़ ए

एफ.

जी.

एच.

711

शिनहान बैंक बनाम कैरोल सूचना सेवाएँ लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

इस प्रकार निगमित में मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे का प्रावधान है, उक्त मध्यस्थता खंड अनुबंध पर भी लागू होगा।”

18. धारा 7 (5) के प्रावधानों से जो सिद्धांत उभरता है, उसे निर्णय के पैराग्राफ 19 में स्पष्ट किया गया है, जिसे नीचे निकाला गया हैः

बी.

“धारा 7 की उप-धारा (5) केवल अनुबंधों के निर्माण के इन सुव्यवस्थित सिद्धांतों को दोहराती है।यह स्पष्ट करता है कि जहां किसी अनुबंध में किसी दस्तावेज़ का संदर्भ है, और संदर्भ से पता चलता है कि दस्तावेज़ को पूरी तरह से शामिल करने का इरादा नहीं था, तो संदर्भ दस्तावेज़ में मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा नहीं बनाएगा, जब तक कि मध्यस्थता खंड का कोई विशेष संदर्भ न हो ताकि इसे लागू किया जा सके।”19. सुविधा समझौते के खंड 17 में सन्निहित मध्यस्थता समझौते का उद्देश्य पार्टियों द्वारा सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए छुट्टी और लाइसेंस समझौते का हिस्सा बनना था।

सी.

डी.

20. इस निवेदन में कोई योग्यता नहीं है कि याचिकाकर्ता को अब धारा 8 के तहत उपचार का पीछा करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए।पक्षों के बीच अनुबंध की स्पष्ट शर्तों को देखते हुए, मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होगी।

ई.

21. याचिकाकर्ता द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ ने तब से महाराष्ट्र राज्य के लोकायुक्ता का पद ग्रहण कर लिया है।इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता के दावे से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच विवादों और मतभेदों को बॉम्बे में उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश डॉ. (श्रीमती) शालिनी फणसालकर-जोशी के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।मध्यस्थ पक्षकारों और मध्यस्थता के तौर-तरीकों के साथ परामर्श करके शुल्क पर निर्णय लेगा।

एफ.

22. पंजीयक (न्यायिक) इस आदेश की एक प्रति एकमात्र मध्यस्थ को प्रेषित करेगा।

23. तदनुसार मध्यस्थता याचिका का निपटारा किया जाता है।24. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

निधि जैन

मध्यस्थता याचिका का निपटारा किया गया।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

एच.